न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 81/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No.–2023/288

1. मनीषा पुत्री सुरेश जी कुम्हार प्रजापत निवासी बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा हाल मु. मनासा जिला नीमच म.प्र.।

–प्रार्थिया

बनाम

1. पार्वतीबाई पत्नी गोटू जी प्रजापत निवासी जमलावदा। (नाम विलोपित)
2. सुरेश पिता गोटू जी प्रजापत निवासी बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. आशाराम पिता गोटू जी प्रजापत निवासी बड़ोलीघाटा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।
5. श्रीमान् उपपंजीयक निम्बाहेडा, निम्बाहेड़ा।

–विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1–श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता वादिया
2–श्री ज्ञानचंद धाकड.– अधिवक्ता विपक्षीगण।

::निर्णय::

दिनांक :–18.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादिया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 194 की आराजी नंबर 468 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल आ.नं 469 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे.मु.चाह, आ.न: 470 रकबा 3.1500 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.1700 हेक्टेयर कुल लगानी 59.85 रूपये स्थित हैं। पुष्टि में नकल जमाबंदी पेश है।

2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थीया की दादी विपक्षी सं० 1 पार्वतीबाई के नाम पर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जो कि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई आराजीयात है से प्रार्थीया का इसमें जन्म से हक अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:22 IST
Reason: SelfAttested

3. विपक्षी सं० 1 के दो पुत्र विपक्षी सं० 2 एवं 3 है और प्रार्थीया विपक्षी सं० 2 की पुत्री है तथा विपक्षी सं० 2 व 3 विपक्षी सं० 1 को बहका फुसला कर उक्त आराजीयात को

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

खुर्द बुर्द हस्तातरण करने पर आमादा है एवं समझाने पर भी नहीं मान रहे है और प्रार्थीया का हिस्सा मानने से इंकार कर रहे है जबकि उक्त आराजीयात में विपक्षी सं० 1 के हिस्से विपक्षी सं0 2 व 3 का प्रत्येक का 1/3 1/3 हिस्सा यानि विपक्षी सं० 1 का 1/3 हिस्सा व विपक्षी सं० 2 का 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी सं० 3 का 1/3 हिस्सा है इसलिये विपक्षी सं० 2 के हिस्से मेसे प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा प्रार्थीया का एवं 1/6 हिस्सा विपक्षी सं० 2 का है जिसकी खातेदारी घोषणा को जाकर इसी अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है और राजस्व रेकार्ड में भी इसी अनुसार नाम अंकन किया जाना आवश्यक है।

4. विपक्षीगण की नियत में बदयांति आ जाने से वो प्रार्थीया का हक हिस्सा मानने से इंकार कर रहे है और भू माफीयाओ के सिखावे में आकर जमीन को खुर्द बुर्द हस्तांतरण करने पर उतारू सुनवाई होकर निर्णय में समय लगने की संभावनाक विधीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना है कि वो वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भाग को जरिये हान्न बय, बक्षीश या अन्य तौर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावे तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें न करावे तथा भौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीया के हक अधिकार प्रभावित हो तथा प्रार्थीया को उसके हक हिस्से की आराजीयात से महरूम नहीं करे न करावें तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें न करावें। यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीया को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थीया का वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना व्यर्थ हो जावेगा।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी नं. 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ज्ञानचंद धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया व विपक्षी न. 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की माता श्रीमति राधा ने दिनांक 25.04.2017 को विपक्षी जवाबदार से तलाक निष्पादित करवा लिया तथा विपक्षी को झूठे कैसो में फंसाकर बहुत परेशान किया। तथा प्रार्थीया मनीषा के भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा विवाह हेतू 3,00,000/– रू० नकद प्राप्त किये जिसमें सम्पति का हक अधिकार नही लेने हेतू विलेख निष्पादित करके दिया क्योंकि प्रार्थीया के पिता के पास कोई सम्पति नही है। इसलिए 3 लाख रूप्ये अपने सम्पूर्ण हक हिस्से के प्राप्त कर लिये थे तथा यह भी अंकित कराया कि मैं भविष्य में सम्पति में कोई हिस्सा नही लुंगी और न ही कोई कार्यवाही करूंगी परन्तु मनीषा के बालिग होते ही असत्य कथनों पर आधारित यह [illegible] की है जो आगे चलकर अवश्य ही खारिज होगी। विपक्षी नं. 1, 4 [illegible] 5 को [illegible] जवाब प्रस्तुत नहीं होने के उपरांत जवाब बंद किया गया।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:37:22 IST
Reason: SelfAttested

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी

बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया प्रार्थिया विपक्षी न. 1, 2 व 3 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारी नही है।

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थिया की पुश्तेनी पैतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार है यदि विपक्षीगण प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी इस प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

<u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। यदि विपक्षीगण प्रार्थिया के हक हिस्से की आराजियात को विक्रय कर देता है और उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर देता है तो प्रार्थिया को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूरणीय क्षति होना साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थिया के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में सा[illegible] है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया एवं विपक्षीगण [illegible] खातेदारी भूमि हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर[illegible] की संतुलन बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
मनीषा बनाम पार्वतीबाई
प्रकरण संख्या – 81/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. –2023/288

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे है अतः प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा तब तक मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 194 की आराजी नंबर 468 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल आ.नं 469 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे.मु.चाह, आ.न. 470 रकबा 3.1500 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.1700 हेक्टेयर कृषि भूमि में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:57:22 IST
Reason: SelfAttested